न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :–श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि०न० – 48/2020(2020/00252)

अनवान : –

राजपाल पुत्र महेन्द्रसिंह जाति जोगी निवासी शेरड़ा तहसील भादरा।

प्रार्थी।

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र रिकॉर्ड दुरूस्ती
अन्तर्गत धारा 136लैण्ड रैवेन्यू एक्ट

उपस्थिति :– श्री लीलाधर अग्रवाल **प्रार्थी**
राज पैरोकार **अप्रार्थी**

निर्णय दिनांक : 19/02/2021

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा शेरड़ा के वर्तमान खाता सं 105/101 के खसरा संख्या 65 की कुल 2.6430 हैक्टेयर, खसरा सं0 333 की 0.1010 हैक्टेयर, खसरा नं0 334 की 2.2760 हैक्टेयर, खसरा सं0 732 की 13.2910 हैक्टेयर, कुल खसरा 4 का कुल क्षेत्रफल 18.3110 हैक्टेयर में प्रार्थी व प्रार्थी के भाई देशराज के नाम 22–3/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

प्रार्थी की उक्त कृषि भूमि के राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम राजपाल की बजाऐ हरपाल दर्ज रहने से प्रार्थी के हितों पर विपरीत असर पड़ता है। प्रार्थी का आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र व ड्राईवीग लाईसेन्स इत्यादि में प्रार्थी का नाम राजपाल दर्ज है। जिनकी फोटो प्रतियां संलग्न प्रार्थना पत्र है जिससे साफ रोशन है।

प्रार्थी का उपरोक्त जमाबन्दी में राजपाल की बजाऐ हरपाल दर्ज रहने से प्रार्थी के हितों पर विपरीत असर पड़ता है। प्रार्थी अपनी कृषि भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड नहीं बनवा सकता है और उसका बेहतर उपयोग उपभोग नहीं कर सकता है। प्रार्थी राजस्व रिकार्ड में दर्ज अपने नाम उक्त राजस्व रिकार्ड में अंकित अपना नाम हरपाल के स्थान पर अपना सही एवं वास्तविक नाम राजपाल दर्ज करा पाने का मजाज कानूनी है।

ऊपर वर्णित कृषि भूमि से संबंधित राजस्व रिकार्ड में प्रार्थी का नाम राजपाल के स्थान पर हरपाल दर्ज होने से प्रार्थी राज्य सरकार व केन्द्र सरकार द्वारा बैंकों से लेनदेन करने व अन्य राजकीय अनुदान आदि की भी सरकारी योजनाओं का ऑन लाईन लाभ प्राप्त करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रार्थी का नाम हरपाल दर्ज रहने से प्रार्थी के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है एवं सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाओं से वंचित होना पड़ता है। प्रार्थी के रोही मौजा शेरडा के खाता संख्या 105/101 में प्रार्थी का नाम राजपाल दर्ज करने से किसी भी व्यक्ति को कोई नुकसान या परेशानी नही होती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.10.20 17:35:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिऐ नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी पेरोकार राज ने जबाब प्रार्थना पत्र पेश किया, जो शामिल पत्रावली की गई।

बहस सुनी गई। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रार्थना पत्र प्रार्थी ने रोही मौजा रोही मौजा शेरड़ा के खाता संख्या 105/101 में अपना नाम दुरूस्त करवाने हेतु पेश किया है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में अंकित किया है कि **''प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में राजपाल के स्थान पर हरपाल दर्ज हो गया।''** जिसके समर्थन में प्रार्थी ने अपनी चित्रप्रति आधार कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र व अन्य दस्तावेज पेश किये है जिनमें प्रार्थी का नाम राजपाल अंकित है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किये जाने योग्य है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यु एक्ट का स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त रोही मौजा रोही मौजा शेरड़ा के खाता संख्या 105/101 में प्रार्थी का नाम **''हरपाल के स्थान पर राजपाल''** दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। किसी न्यायालय में कोई आपराधिक वाद या जांच विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था के नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए हरपाल ही प्रभावी मानी जायेगा तथा नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और भविष्य में कोई अन्य तथ्य प्रकट होता हो तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेवार होगा। तहसीलदार राजस्व भादरा के नाम आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 19/02/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जयसिंह) R.A.S
उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)
भादरा जिला हनुमानगढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.10.20 17:35:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़